बिहार सरकार
गृह विभाग
अभियोजन निदेशालय

मुख्य सचिवालय, ब्लॉक–2, द्वितीय तल, पटना–800015

कार्यालय आदेश संख्या.....312...../2026

सं0सं0–अ0नि0 (02) 113/2026/नि0सं0

वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 1994(24) दिनांक 04.11.2024 द्वारा प्राप्त उपार्जित अवकाश आदेयता प्रतिवेदन के आलोक में श्री अरबिन्द कुमार पाण्डेय, मुख्य अभियोजक, जिला अभियोजन कार्यालय, मधेपुरा को बिहार सेवा संहिता के नियम–227 एवं 230 के अन्तर्गत गृह निर्माण कार्य हेतु दिनांक 21.11.2026 से दिनांक 20.12.2026 तक कुल 30 (तीस) दिनों का उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

श्री पाण्डेय के अवकाश अवधि में इनके कार्यों का निष्पादन श्री ओम प्रकाश सिंह, सहायक अभियोजक, जिला अभियोजन कार्यालय, मधेपुरा द्वारा किया जायेगा।

इसमें प्रधान सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/–
उप सचिव।

ज्ञापांकः अ0नि0 (02) 113/2026/नि0सं0..... दिनांक.....

प्रतिलिपिः– जिला पदाधिकारी, मधेपुरा/मुख्य अभियोजक, मधेपुरा/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/श्री अरबिन्द कुमार पाण्डेय, मुख्य अभियोजक, जिला अभियोजन कार्यालय, मधेपुरा/श्री ओम प्रकाश सिंह, सहायक अभियोजक, जिला अभियोजन कार्यालय, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

ह0/–
उप सचिव।

ज्ञापांक अ0नि0 (02) 113/2026/नि0सं0.2829..... दिनांक.15/10/26.....

प्रतिलिपिः– ✓प्रोग्रामर, अभियोजन निदेशालय, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

15/10/26
उप सचिव।

Jahar